वित्त मंत्रालय

डीआरआई ने बेंगलुरू में अवैध हाथी दांत व्यापार पकड़ा, सात गिरफ्तार

प्रविष्टि तिथि: 06 MAR 2024 8:54PM by PIB Delhi

पूरी सतर्कता के साथ तैयार एक योजनाबद्ध आपरेशन के तहत राजस्व आसूचना निदेशालय)डीआरआई (अधिकारियों ने बेंगलूरू ,कर्नाटक के बाहरी इलाके में हाथीदांत का अवैध व्यापार करने वाले एक सिंडीकेट के प्रयासों का भंडाफोड़ किया। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-। के तहत वर्गीकृत है। दिनांक 05/06.03.2024 को एक आटो रिक्शा में सवार तीन संदिग्धों को रोका गया जिनके पास एक बड़े बैग में छुपाकर रखा गया हाथी दांत बरामद हुआ। त्वरित कार्रवाई में अवैध व्यापार में उनकी मदद करने वाले चार और साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

उनके पास से कुल 6.8 कि.ग्रा. वजन के दो हाथी दांत बरामद किये गये जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम) डब्ल्यूपीए(, 1972 की धारा 50 के तहत जब्त कर लिया गया। इन सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में हाल में किये गये संशोधन ,जो कि 1 अप्रैल,2023 से प्रभावी हैं ,डीआरआई के अधिकारियों को जो कि पहले से ही अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी और अवैध व्यापार रोकने के प्रयासों में आगे रहकर नेतृत्व कर रहे हैं ,उन्हें घरेलू अवैध वन्यजीव व्यापार रोकने को भी अतिरिक्त शक्तियां दी गईं हैं।

नये प्रावधानों से लैस डीआरआई अधिकारी पूरी सक्रियता के साथ वन्यजीव वस्तुओं के अवैध रूप से होने वाले व्यापार को पकड़ने के काम में लगे हुये हैं। अकेले 2023- 24 वित्त वर्ष में ही डीआरआई यूनिटों ने देशभर में छह सफल अभियान संचालित किये जिसमें कुल मिलाकर57 .5 कि.ग्रा. वजन के हाथीदांत जब्त किये गये। ये आपरेशन चेन्नई ,हैदराबाद ,गुवाहटी ,कोलकाता और बेंगलूरू में संचालित किये गये। डीआरआई के ये आपरेशन वन्यजीव अवैध व्यापार रोकने की उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

एमजी/एआर/एमएस/डीके

(रिलीज़ आईडी: 2012288) आगंतुक पटल : 125

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu